छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत क्रमांक 337 / 2006</u>

श्री येरावत सिंह आर्य,
ग्राम–गैंतरा, पो0ऑ0–बड़े भरसेका,
विकासखंड व तहसील–बलौदाबाजार,
जिला–रायपुर (छ.ग.) . . . . . **आवेदक**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय तहसीलदार, बलौदाबाजार,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) . . . . . **अनावेदक**

:: आदेश ::
(दिनांक 14 सितम्बर 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री येरावत सिंह आर्य का शिकायती पत्र दिनांक 24–04–2006 राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था, जिसका संज्ञान लेकर उक्त शिकायत दर्ज की गई। उक्त शिकायत में उन्होंने शिकायत की है कि दिनांक 31–03–2006 को सूचना हेतु आवेदन तहसीलदार कार्यालय में दिया था, जो लेने से इंकार किया गया, अतः उनके द्वारा चाही गई जानकारी दिलवाई जावे।

2/ प्रकरण में अनावेदक तहसीलदार, बलौदाबाजार से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया और उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। तहसीलदार ने प्रतिवेदन में बताया है कि शिकायतकर्ता का शिकायत निराधार है तथा शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–141(2) के अंतर्गत उनके अतिक्रमण हटाने के बारे में दिया गया है तथा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आवेदन स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या जानकारी चाहिए था। वे विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णयों पर तहसीलदार का अभिमत चाहता है, जो सूचना की श्रेणी में नहीं आता। इसके अतिरिक्त वह शिकायत करने का आदी है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने 1915 में निर्मित सिंचाई केनाल के स्वामित्व के बारे में एक विवाद होना बताया है, किन्तु जहां तक न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही अपने स्थान पर की जावेगी। जहाँ तक न्यायालयीन अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का प्रश्न है उसे विधिवत् आवेदन कर पृथक नियमों के अधीन प्रतियाँ प्राप्त करनी चाहिये।

3/ शिकायतकर्ता भी चाहता तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं। किन्तु आयोग के समक्ष केवल सूचना प्राप्त करने के अधिकार के बारे में जहां तक प्रश्न है इस

प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता भी अपने शिकायती स्वभाव के कारण अनर्गल शिकायतें कर रहा है और जानकारी प्राप्त करने के बजाय विभिन्न स्तरों पर विवाद खड़े करने में अधिक रुचि है और जो जानकारी उसको चाहिए उसके संबंध में कोई स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहा है। अतः इस प्रकरण में केवल यह निर्देश देकर उक्त शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है कि तहसीलदार द्वारा संबंधित अभिलेखों का आवेदक को निःशुल्क निरीक्षण 15 दिन के अंदर कराया जाये और उसके बाद में वह जो भी सूचना प्राप्त करना चाहे उसके बारे में उनसे स्पष्ट आवेदन लेकर और उसके लिए निर्धारित फीस की सूचना उन्हें 1 सप्ताह के अंदर दें और तत्पश्चात् चाही गई सूचना अगले 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त